

नम्बर च...
अहंकार...
हुक्म की...
में जारी...

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

of के न्यायालय में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाबड़ी
of Case प्रकार का प्रकार 75 LR ACT
Number of Case प्रकार की संख्या 08/2019 Year वर्ष
एन.राज वर्मा Versus बनाम अवेरलाल वगैरह

<p>Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश</p>	<p>Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण</p>
--	--

2022 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कर्तव्य सरकार भ्रमण/अवकाश पर हैं। पत्रावली इंतुबा होकर दिनांक 12/7/2022 को पेश हो। (M)

2022 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कर्तव्य सरकार भ्रमण/अवकाश पर हैं। पत्रावली इंतुबा होकर दिनांक 19/7/2022 को पेश हो। (M)

21/07/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाथ उपस्थित। पक्षकारों अधिवक्ताओं की धारा 151 CPC प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। धारा 151 CPC प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। रीपोजिटर्स वकील द्वारा लिखित बहस न कर सीधा बहस में भाग लिया। धारा 5 ग्याट अधिनियम व 75 LR ACT पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पाल्ट आदेश दिनांक 22/7/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाबड़ी

22/07/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाथ उपस्थित। अपीलार्थीगण द्वारा अपील जनगत धारा 75 शच (शाम) श्री रावसब अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 662 ग्राम लवरा खुर्द दिनांक 20/05/2004 जी ग्राम पंचायत खंडीपा बरिय संरपंच द्वारा पारित किया गया पेश की गयी। अपीलार्थीगण



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाबड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)


CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या

Year वर्ष

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief No. Complia the or आदेश की का संक्षेप
1	<p>कारा बताया गया कि मौजा ग्राम लवरा-सुर्त तहसील बापड़ी के खसरा नम्बर 781 रकबा 40 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि अभी हूँ ही जहाँ कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण ताऊनी व पुत्तर्षी संख्या 1 सी 3 के पिता श्री मांगीलाल पुत्र श्री सोवलराम के नाम से संयुक्त खातदारी में जमल दरामद थी। जिसमें श्री मांगीलाल का 1/3 हिस्सा निहित था। जहाँ कि मांगीलाल के स्वयं के नाम पर खत सेंटलमेंट आवंटनसुद्ध भूमि थी। जिसकी मांगीलाल द्वारा नियमित लगान छदा करके प्राप्त किया गया था। तत्पश्चात् आपसी भाई-भार्य के चलते तथा मर्क पर अपीलार्थीगण का कब्जा-कष्ट हर्न तथा खत भूमि अपीलार्थीगण के हिस्से में बन्दबाड़ा में हर्न के कारण मांगीलाल ने खत खसरे में निहित अपनी सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की कृषि भूमि की अपीलार्थीगण के पिताजी श्री सुमरलाल की जरूरत लिखित पक्षीयत नामा (दृच्छा-पत्र) दस्तावेज के पक्षीयत कर ही थी। जहाँ पक्षीयतनामा (दृच्छा-पत्र) दस्तावेज संख्या 1618/1993 का लिखा गया था। जहाँ कि स्वरु गवादान में तबिरान के लिखा गया था। श्री मांगीलाल का स्वगणम</p>	3



सहायक कलेक्टर एवं
 उपरान्त अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case पत्रों की संख्या

Year वर्ष

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer प्रेषात्मक अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	<p>प्रार्थना-पत्र पर सुनी जाकर आगामी तारीख पेशी तक अन्तर्नि मस्यदायी निर्दिष्टा जारी की गयी। प्रत्यक्षीकरण की और से अर्थात् अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्नि धारा 151 CPC का पेशा किया गया। जिसका जवाब अपीलाधीन की और से अर्थात् अधिवक्ता पेशा किया। पक्षकारान् अधिवक्ताओं की धारा 151 CPC पर बहल सुनी गयी। धारा 151 CPC प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्नि धारा 5 भारतीय परिसेमा अधिनियम का जवाब प्रत्यक्षीकरण की और से पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलाधीन द्वारा बहल के साथ मूल पसीयत कापी प्रस्तुत की गयी। अधिवक्ता अपीलाधीन की और से लिखित बहल पेश की गयी एवं मौखिक बहल भी की जाकर बताया गया कि अपील अपीलाधीन के तथ्यों का दखिरात द्वारा अपील अपीलाधीन स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 667 ग्राम लवरा खुर्द का अपालत व निरालत किया जाकर पसीयत के आधार पर अपीलाधीन का नाम सांगीलाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे का आदेश लखनऊ। अधिवक्ता प्रत्यक्षीकरण ने अपनी बहल में बताया गया कि पसीयतनामा की पालना राजस्व न्यायालय से नहीं की जा सकती। पैटक भूमि ही पसीयत केवल स्वामित्व</p>



सहायक जज (अधीनस्थ)
उपस्थित अधिकारी, बांसगाँव

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Court of के न्यायालय में

Kind of Case प्रकार का प्रकार

Number of Case प्रकार की संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वावडी

75 RLR AC 7

08/2019

Year वर्ष

बनारस कोरीय

Versus बनाम

मंगरलाल कोरीय

Date
नांक

Order with Initials of Presiding Officer
पीठाधीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

Brief Note of
Compliance of
the order
आदेश की पालना
का संक्षेप रिप्पण

1

3

यहाँ ही माध्य ही अपील अपीलार्थीगण की तर्जों का अस्वीकार करते हुए अपील खारिज किया जाने का निर्वाह किया गया।

फावली का आनपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा बहस के साथ मूल वसीयत नामी प्रस्तुत की शर्त प्रसका अभ्ययन किया गया। पक्षकारान् अधिवक्ताओं की लिखित बहस व मौखिक बहस पर मनन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। न ही लिखित में किसी तरह से अपील का खण्डन किया है अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयतनामा अनुसार प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 के पिता श्री मोगीलाल द्वारा अपनी स्वयं की बच्चा से अपनी कब्जा मुह भूमि का तीन गवाह के स्वरु अपीलार्थीगण के पिताजी के नाम वसीयत की गयी थी प्रसकी जांच होने आवश्यक है वसी की वसीयतनामा के बाद मौके पर कब्जा काश्त लगातार अपीलार्थीगण द्वारा अपना बताया गया प्रसका प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी रूप से खण्डन नहीं किया गया। अगर वसीयतनामा पक्षकारान् द्वारा स्वीकृत नहीं होता तो कब्जा काश्त अपीलार्थीगण के पास कैसे रहता।



सहायक -
अखण्ड अधिकारी, वावडी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकार की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brie Com the आदेश का सं
1	<p>अतः उक्त अपील में पत्रावली के मतलोक एवं पत्रकारानु अधिवक्ताओं की बहस पर ममन एवं विश्लेषण उपरान्त अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। द्वारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्राथमिक स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अपील अधिमोक्ष अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। ग्राम - लवंग मुर्दे नामान्तरण संख्या 667 दिनांक 20/05/2004 ग्राम पंचायत खंडापा द्वारा स्वीकृत किया गया का निरस्त किया जाता है। पुकरण तहसीलदार वाक्की का रिमांड किया जाता है कि पुकरण के संलग्न मूल वसीयतनाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण कर दिया जावे। तहसीलदार वाक्की का निर्णय की उमांगित सहित तहरीर जारी है। पत्रावली में लल मुमाट नम्बर से कम दायित्व दफतर है। आदेश आज दिनांक 22/02/2022 को मुर्द न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(h)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर एवं अपराध अधिकारी, बावडी</p>	

